श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

3. लोक मोटर परिवहन

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि ''लोक मोटर परिवहन'' के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)472 / 2018—पी—II, तारीख 24—04—2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20–06–2024** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01–04–2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ)ः

| (क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर—हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दपतरी | 400 रुपए प्रतिदिन। | 12000 रुपए प्रतिमास । |
|--|------------------------|--------------------------|
| (ख) वर्कशाप–स्टाफ (अकुशल) | 400 रुपए प्रतिदिन । | 12000 रुपए प्रतिमास । |
| (ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नही है । | | |
| अर्ध- कुशल | 415 रूपए प्रतिदिन। | 12450 रुपए प्रतिमास । |

- 1. सहायक इलैकट्रीशियन
- 2. सहायक मकैनिक
- 3. सहायक फिटर
- 4. सहायक ब्लैक रिमथ
- 5. सहायक कारपेंटर
- 6. सहायक वैल्डर
- 7. सहायक टर्नर
- 8. सहायक बोरिंग बारमैन
- 9. सहायक मशीनिस्ट

- सहायक कुशन-मेकर 10.
- सहायक बोल्केनाइजर 11.
- सहायक पेंटर 12.
- सहायक अपहोलस्टर 13.
- सहायक टायरमैन 14.
- सहायक स्प्रेमैन 15.
- सहायक इलैक्ट्रिशियन मकैनिक 16.
- सहायक रिट्रीडर 17.
- वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई. का 18. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई०टी०आई० का डिप्लोमा न हो
- 19. सहायक मोल्डर

कुशल:--

मकैनिक, फिटर, ब्लैक रिमथ, कारपेन्टर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलैक्ट्रिशयन, मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है।

वैल्डर, रु. 453 प्रतिदिन टिनस्मिथ, **रु. 13.590 प्रतिमास**

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैड मकैनिक, कारबोरेटर/हैड इलैक्ट्रिशियन/गैरेज सुपर रु. 503 प्रतिदिन या वाइजर।

रु॰ 15090 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप -ए:

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो **रु. ४५३ प्रतिदिन या** टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक–राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर कीपर, पैट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

रु॰ 13590 प्रतिमास

ग्रूप—बीः

मुख्य—निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक **रु. ४७७ प्रतिदिन या** ए ग्रेड, स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, **रु. 14310 प्रतिमास** लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक ।

ग्रुप–सीः

हैंड एसिस्टैण्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।

रु. 562 प्रतिदिन रु. 16860 प्रतिमास

रनिंग स्टाफ:-

 1. ड्राइवर
 रु. 508 प्रतिदिन

 2. कन्डक्टर
 रु. 464 प्रतिदिन

 3. कलीनर कम कन्डक्टर
 रु. 434 प्रतिदिन

 4. पार्ट टाइम बुकिंग क्लिक
 रु. 278 प्रतिदिन

 रु. 8340 प्रतिमास

टिप्पणी:--

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप—जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एव विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार हैं, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / — (प्रियंका बासु ईंगटी), सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Public Motor Transport" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from 01-04-2024;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01-04-2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01.04.2024** as **under:**—

General Staff Unskilled

Rs.400 per day, Rs. 12,000 per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter and Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

Semi-skilled

Rs. 415 per day, Rs.12,450 per month

- 1. Asstt. Electrician
- 2. Asstt. Mechanic
- 3. Asstt. Fitter
- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asstt. Carpenter
- 6. Asstt. Welder

- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanisor
- 12. Asstt. Painter
- 13. Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt. Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retrader
- 18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma.
- 19. Assistant Molders

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 453 per day or Rs. 13,590 per month.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

Rs. 503 per day or Rs. 15,090 per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Storedaybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk Rs. 453 per day or Rs. 13,590 per month. (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Group-CHead Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

Rs. 477 per day or Rs. 14310 per month.

Rs. 562 per day Rs. 16,860 per month.

RUNNING STAFF Per Day Per month 1. Driver Rs. 508 Rs. 15,240 2. Conductor Rs. 464 Rs. 13920 3. Cleaner-cum-Conductor Rs. 434 Rs. 13020 4. Part-Time Booking Clerk Rs. 278 Rs. 8340

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adultor non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018—पी—II] तारीख 24—04—2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;